(310)

II/निग0/सतना/2018/01360

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
जिला रीवा म0प्र0

प्रतिवादी महेन्द्र सिंह द्वारा पेश 23-2-18

1. महरनिया पत्नी रामदेव सिंह उम्र 70साल पेशा खेती
2. तीरथ सिंह तनय रामदेव सिंह उम्र 58 साल
3. अखिलेश्वर सिंह तनय रामदेव सिंह उम्र 54 साल
4. जगदीश सिंह तनय देवनाथ सिंह उम्र 62 साल
5. बृजभान सिंह तनय देवनाथ सिंह उम्र 52 साल

सभी पेशा खेती सभी निवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

............. आवेदकगण

बनाम

महेन्द्र सिंह तनय गंगा सिंह उम्र 50 साल पेशा खेती नि0 ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

.... अनावेदक

**निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षक बृत्त मौहारी कटरा तह0 अमरपाटन जिला सतना दिनांक 20.6.2017 जो सीमांकन प्रक0 क0 46/अ12/16—17 मे पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन की पुष्टि की गई**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू रा0 संहिता 1959 ई0**

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत है:—

1— यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टीकरण आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(310)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांकII / निग0 / सतना / 2018 / 01360 जिला–सतना

महरनिया / महेन्द्र सिंह

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 18.12.18- | 1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 46 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |